



प्रेषक,

सुनील कुमार पाण्डेय,  
विशेष सचिव,  
उत्तर प्रदेश शासन।

सेवा में,

निदेशक,  
कुटीर एवं ग्रामीण उद्योग निदेशालय,  
उ०प्र०, लखनऊ।

खादी एवं ग्रामोद्योग अनुभाग-2

लखनऊ : दिनांक 21 अप्रैल, 2026

**विषय:-** वित्तीय वर्ष 2026-27 के आय-व्ययक में अनुदान संख्या-5 के अन्तर्गत ई-गवर्नेन्स, कम्प्यूटराइजेशन एण्ड कनेक्टिविटी योजना हेतु प्राविधानित धनराशि के सापेक्ष प्रथम किश्त की वित्तीय स्वीकृति।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक मुख्य कार्यपालक अधिकारी, उ०प्र० खादी तथा ग्रामोद्योग बोर्ड के पत्रांक-08/खा०ग्रो०बो०/कम्प्यूटर/ई-गवर्नेन्स/2026-27, दिनांक 07.04.2026 द्वारा प्रेषित कार्ययोजना अनुमोदित करते हुए मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि चालू वित्तीय वर्ष 2026-27 के आय-व्ययक में ई-गवर्नेन्स, कम्प्यूटराइजेशन एण्ड कनेक्टिविटी योजना हेतु प्राविधानित धनराशि रु० 45.00 लाख (रूपये पैंतालिस लाख मात्र) के सापेक्ष प्रथम किश्त की धनराशि रु० 22.50 लाख (रूपये बाईस लाख पचास हजार मात्र) को निम्नलिखित शर्तों के अन्तर्गत निर्गत किये जाने एवं उसे निदेशक, कुटीर एवं ग्रामीण उद्योग निदेशालय, उ०प्र० के निर्वर्तन पर रखे जाने की राज्यपाल महोदया सहर्ष स्वीकृति प्रदान करती है:-

**नियम व शर्तें/ प्रतिबन्धों**

- (1) स्वीकृत धनराशि का आहरण केवल तात्कालिक आवश्यकता के आधार पर किया जायेगा।
- (2) उक्त स्वीकृत धनराशि का उपयोग उसी प्रयोजन के लिए किया जायेगा जिसके लिए धनराशि की स्वीकृति की जा रही है।
- (3) स्वीकृत धनराशि का आहरण सक्षम स्तर के अनुमोदनोपरान्त किया जायेगा तथा वित्त (आय-व्ययक) अनुभाग-1 के कार्यालय ज्ञाप संख्या-4/2026/बी-1-812/दस-2026-231/2026, दिनांक 28 मार्च, 2026 एवं समय-समय पर निर्गत शासनादेशों में दिये गये निर्देशों का पूर्णतया अनुपालन सुनिश्चित किया जायेगा।
- (4) उक्त स्वीकृत धनराशि का उपयोगिता प्रमाण-पत्र वित्तीय नियम संग्रह खण्ड-5 भाग-1 के प्रस्तर-369 एच के अनुसार चालू वित्तीय वर्ष 2026-27 में महालेखाकार (लेखा परीक्षा) (प्रथम) उ०प्र०, प्रयागराज एवं शासन को उपलब्ध कराया जायेगा।
- (5) उ०प्र० खादी तथा ग्रामोद्योग बोर्ड के पत्रांक-08/खा०ग्रो०बो०/कम्प्यूटर/ई-गवर्नेन्स/2026-27, दिनांक 07.04.2026 में संलग्न की गयी कार्ययोजना/प्रस्तावित व्यय विवरण के अनुसार ही व्यय किया जायेगा।

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट <http://shasanadesh.up.nic.in> से सत्यापित की जा सकती है।

(6) उक्त स्वीकृत धनराशि का लेखा, महालेखाकार (लेखा परीक्षा) (प्रथम) उ0प्र0, प्रयागराज व उनके द्वारा मनोनीत किसी अन्य अधिकारी द्वारा जांच के लिए उपलब्ध रहेगा। यह लेखा कम्प्यूटर एण्ड ऑडिटर जनरल भारत सरकार या उनके द्वारा मनोनीत किसी अधिकारी द्वारा टेस्ट आडिट के लिए भी उपलब्ध रहेगा।

2- इस संबंध में होने वाला व्यय रुपये 22,50,000 (रुपये बाईस लाख पचास हजार मात्र) को चालू वित्तीय वर्ष 2026-27 के आय-व्ययक में अनुदान संख्या-005 लेखा शीर्षक 2851001052400 ई-गवर्नेन्स, कम्प्यूटराइजेशन एण्ड कनेक्टिविटी मानक मद 20-सहायता अनुदान-सामान्य (गैर वेतन) के नामें डाला जायेगा।

3- यह आदेश वित्त (आय-व्ययक) अनुभाग-1 के कार्यालय ज्ञाप संख्या-4/2026/बी-1-812/दस-2026-231/2026, दिनांक 28 मार्च, 2026 में प्रशासकीय विभाग को उक्तवत प्रतिनिधानित अधिकार के अंतर्गत निर्गत किये जा रहे हैं।

भवदीय,

सुनील कुमार पाण्डेय  
विशेष सचिव।

संख्या- 24/2026/204(1)/59-2-2026/001-1818785 तददिनांकित

प्रतिलिपि- निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित-

- 1- महालेखाकार, (लेखा परीक्षा) प्रथम/, द्वितीय उ0प्र0, प्रयागराज।
- 2- महालेखाकार, (लेखा एवं हकदारी) प्रथम/, द्वितीय, उ0प्र0, प्रयागराज।
- 3- मुख्य कार्यपालक अधिकारी, उ0प्र0 खादी तथा ग्रामोद्योग बोर्ड, लखनऊ।
- 4- मुख्य कोषाधिकारी, जवाहर भवन, उ0प्र0, लखनऊ।
- 5- निदेशक, वित्तीय एवं सांख्यिकीय निदेशालय, उ0प्र0, 125, जवाहर भवन, लखनऊ।
- 6- वित्त (व्यय नियंत्रण) अनुभाग-6, वित्त (आय-व्ययक) अनुभाग-1/नियोजन अनुभाग-4/  
औद्योगिक विकास अनुभाग-2
- 7- निदेशक, स्थानीय निधि लेखा परीक्षा विभाग, उत्तर प्रदेश, प्रयागराज।
- 8- वित्त एवं लेखाधिकारी, कुटीर एवं ग्रामीण उद्योग निदेशालय, उ0प्र0 लखनऊ।
- 9- गार्ड फाइल।

आज्ञा से,

सुनील कुमार पाण्डेय  
विशेष सचिव।

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट <http://shasanadesh.up.nic.in> से सत्यापित की जा सकती है।